कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक/ 821 /अ.जि.म./2021 दुर्ग, दिनांक 22/05/2021

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 782 दिनांक 15.05.2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 मध्यरात्रि तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये **नवीन कंडिका 4 (i), (ii) एवं 19 (i), (ii)** जोड़ी जाती है।

आदेश की कंडिका 6 के क्रमांक 3 में उल्लेखित **''मोबाईल शॉप एंड एसेसरीज''** को विलोपित कर क्रमांक 4 में जोड़ा जाता है अर्थात अब **''मोबाईल शॉप एंड एसेसरीज'' की दुकान मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को खुली रहेगी।**

इसी प्रकार आदेश की कंडिका 6 का क्रमांक (3) में ''प्रिंटिंग कार्य, प्रिंटर्स फोटो, कलर लैब व फोटो फ्रेमिंग'' दुकानों को जोड़ा जाता है अर्थात उक्त दुकानों को सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को एवं फर्नीचर दुकानों को शनिवार के दिन खोलने की अनुमति होगी।

सभी दुकानों का खुलने का समय सुबह 11 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक होगा। मार्निंग वॉक की अनुमति होगी किन्तु सामूहिक गतिविधियां बंद रहेगी।

नवीन कंडिका निम्नानुसार होगी :–

4 (i) चूंकि ग्रीष्मकालीन धान की कटाई शुरू हो रही है, धान और खादयान्न /फसलों की नीलामी और बिक्री/खरीद से संबंधित मंडियों को सुबह 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच संचालित करने की अनुमति दी जाएगी – केवल वे मंडियां जो परंपरागत रूप से केवल धान और फसलों की नीलामी करती है।

(ii) आगामी निर्देश तक सब्जी मंडिया प्रतिबंधित/बंद रहेगी।

19(i) होटल/रेस्टारेंट को ऑनलाईन या टेलीफोनिक आर्डर और टेकअवे पर भी होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। होटलों एवं रेस्टॉरेंट से केवल स्विगी, जामेटो के द्वारा ही रविवार के दिन भी होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

(ii) किसी भी रेस्तरां में इन–डाइनिंग की अनुमति नहीं होगी। होटल की रसोई सेवाओं की अनुमति उनके इन हाउस मेहमानों के लिए अपने स्वयं के रेस्तरां में भोजन करने के लिए दी जाएगी। होटलों को उनके परिसर में विवाह समारोह करने की अनुमति दी जाएगी, जो अधिकतम संख्या पर प्रतिबंधों के अधीन है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

(ऋचा प्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 821 / अ.जि.म. / 2021 दुर्ग, दिनांक 23 / 05 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग / भिलाई / भिलाई चरौदा / रिसाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. खाद्य नियंत्रक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. उप संचालक जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. समस्त कार्यालय प्रमुख ------------------जिला दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग (छ.ग.)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)